

**झारखण्ड सरकार,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

--:अधिसूचना:--

राँची, दिनांक :31.07.2024

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1439/श्री गोपाल कृष्ण झा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-मधुबनी, बिहार) जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

उक्त संदर्भ में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1371 दिनांक-29.07.2024 को यथा संशोधित समझा जाय।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1440/श्री मुकुल राज, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापन संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1400 दिनांक-30.07.2024 को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1441/सुश्री अनीता पुरती, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, चास, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1442/श्री कैसर रजा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नगर उटारी, गढ़वा-अतिरिक्त प्रभार-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रेहला, पलामू को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापन संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1415 दिनांक-30.07.2024 को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1443/श्री नूर आलम खाँ, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लातेहार) जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापन संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1388 दिनांक-30.07.2024 को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए यथावत् बने रहेंगे।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1444/सुश्री कविता खलखो, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चितरपुर, रामगढ़ अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापन संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1394 दिनांक-30.07.2024 को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।



सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1445/श्री कैलाश मिश्र, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापन संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-1389 दिनांक-30.07.2024 को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1446/श्री चार्ल्स हेम्रम, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. इस अधिसूचना से प्रभावित प्रभार रहित पदाधिकारी अन्यत्र पदस्थापन के लिए विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।
3. कार्यहित में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अपने मौलिक पद से उच्चतर पद पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारियों की उच्चतर पद के वेतन का दावा मान्य नहीं होगा। यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है, जिसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा नव पदस्थापित जिला शिक्षा अधीक्षकों को उनके निर्दिष्ट कार्यों (शिक्षकों की नियुक्ति के प्रक्रिया अन्तर्गत काउंसिलिंग कार्यों) के निष्पादन में आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
5. उपरोक्त स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारीगण दिनांक-05.08.2024 तक अपने-अपने पदों के प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए ज्ञाप प्रति विभाग (मुख्यालय) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1447/

प्रतिलिप : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय अंक में प्रकाशनार्थ/नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


राँची, दिनांक :31.07.2024


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1447/

प्रतिलिप : प्रधान महालेखाकार (लेखा, एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि. को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक :31.07.2024


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01/स्था.02-01/2008 (खण्ड)-1447/

राँची, दिनांक :31.07.2024

प्रतिलिप : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड/विभागीय प्रभारी सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची/निदेशक, झारखण्ड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची/सभी संबंधित आयुक्त/उपायुक्त, झारखण्ड/अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड एवं उपरोक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।